**संख्या- 01/2025/17/53-1-2025**

प्रेषक,

राम सहाय यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

दुग्ध आयुक्त,
दुग्धशाला विकास विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

**दुग्ध विकास अनुभाग-1** **लखनऊ : दिनांक 28-01-2025**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु अनुदान संख्या-16 के लेखाशीर्षक " 2404-डेरी विकास-102-डेरी विकास परियोजनायें-09-उ०प्र० दुग्ध नीति-2018-20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) मद में पुनर्विनियोग के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्रांक-499/दुग्ध-4/नियो0/उ0प्र0 दुग्ध नीति-2018 (231-3)/24-25, दिनांक 03 जनवरी, 2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में उ0प्र0 दुग्ध नीति-2018 योजना हेतु आवश्यक धनराशि रू0 783.51 लाख (रूपये सात करोड़ तिरासी लाख इक्यावन हजार मात्र) की व्यवस्था उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022 के अन्तर्गत सम्भावित बचत में से पुनर्विनियोग के माध्यम से कराने का अनुरोध किया गया है ।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-16 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक ''2404-डेरी विकास-102-डेरी विकास परियोजनायें-11-उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति-2022-20 सहायता अनुदान- सामान्य (गैर वेतन)'' मद में सम्भावित बचत के सापेक्ष पुनर्विनियोग के माध्यम से संलग्न बी0एम0-9(भाग-1) के अनुसार लेखाशीर्षक ''2404-डेरी विकास- 102-डेरी विकास परियोजनायें-09-उ0प्र0 दुग्ध नीति-2018-20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) मद में धनराशि रू0 783.51 लाख (रूपये सात करोड तिरासी लाख इक्यावन हजार मात्र) का पुनर्विनियोग निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

**नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध**

(1) बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य दुग्ध आयुक्त,दुग्धशाला विकास,उ0प्र0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसमें अतिरिक्त धनराशि की मांग नही की जायेगी।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

(4) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि के व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04.03.2024, एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में अंकित दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किया जा रहा है ।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

राम सहाय यादव
विशेष सचिव।

संख्या- 01/2025/17/53-1-2025,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वतीय, लखनऊ/प्रयागराज ।
3- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, प्रयागराज ।
4- प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, 29-पार्क रोड, लखनऊ।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
7- वित्त(व्यय-नियन्त्रण)अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-3,उ0प्र0 शासन।
8- सम्बन्धित अर्थ एवं संख्याधिकारी उ0प्र0।
9- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
10- मण्डलीय उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश।
11- वेब मास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
पंकज कुमार सिंह
अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

**बी एम-9 (भाग - 1)**

**पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति**

**(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)**

A053-20242025-53-1099-099-25-2022

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-16 के अन्तर्गत 30प्र0 दुग्ध नीति-2018 योजनान्तर्गत व्यय हेतु धनराशि की व्यवस्था पुनर्विनियोग के माध्यम से किया जाना ।

**निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण**

| अनुदान संख्या | लेखाशीर्ष | मानक मद | आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग | आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत | संक्रमित की जाने वाली धनराशि | वित विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि | संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग | वितीय वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016 | 2404001021100 (उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति- 2022 ) | 20 (सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)) | 25,00,00,000 रुपये पच्चीस करोड़ मात्र | 24,71,16,765 रुपये चौबीस करोड़ इकहत्तर लाख सोलह हजार सात सौ पैंसठ मात्र | -7,83,51,000 रुपये सात करोड़ तिरासी लाख इक्यावन हजार मात्र | 78351000 - | 17164900 0/- - | 2024-2025 |

**निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण**

| अनुदान संख्या | लेखाशीर्ष | मानक मद | वितीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग | संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि | वित विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि | संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग | वितीय वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016 | 2404001020900 (30प्र0 दुग्ध नीति - 2018 ) | 20 (सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)) | 5,00,00,000 रुपये पाँच करोड़ मात्र | 7,83,51,000 रुपये सात करोड़ तिरासी लाख इक्यावन हजार मात्र | 78351000 - | 12835100 0/- - | 2024-2025 |

**कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-**

1- उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष 2024-25 में उपर्युक्त मद में बचत सम्भावित है ।

2- उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष अंकित व्यय निम्नलिखित कारणों से है-

विभागीय आवश्यकता के अनुसार धनराशि उपलब्ध न होने के कारण।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150, 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/ परिसीमाओं का उल्लघन नहीं होता है।

संख्या: आर ई-<बजट-1-291> -2024-25, दिनांक-24 जनवरी 2025

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी ) प्रथम,
उत्तर प्रदेश,प्रयागराज ।

(पंकज कुमार सिंह)
अनु सचिव

Signed by
Dr. Ramesh Chandra Tiwari
उप सचिव
Date: 24-01-2025 12:06:53

संख्या: आर ई-<बजट-1-291> -2024-25, दिनांक-24जनवरी, 2025

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित** :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,उत्तर प्रदेश प्रयागराज ।
2- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/नियत्रंक अधिकारी।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से
पंकज कुमार सिंह
अनु सचिव